यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी के माह 04/2016 से माह 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अशोक कुमार मीना ले0प0 एवं श्री ए.के.गुप्ता सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 28.07.2017 से 09.08.2017 तक श्री पी.के.गुप्ता लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री कलवन्त सिंह एवं श्री एन.के. बंसल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.10.2016 से 22.10.2016 तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें **राजस्व हेतु** माह 04/2012 से 03/2016 तक **एवं व्यय हेतु** माह 04/2012 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में **राजस्व हेतु** माह 04/2016 से 03/2017 तक **एवं व्यय हेतु** माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: हल्द्वानी वन प्रभाग

3. (ii) (अ) **राजस्व का विवरण:** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	2102.65
2015-16	2965.87
2016-17	5070.36

(ii)(ब) बजट <u>का विवरण</u>

वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

<u>(रू लाख में)</u>

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	---	---	757.96	757.96	183.874	183.874	---	-----
2015-16	----	----	851.14	85.14	68.07	68.07	----	---
2016-17	-----	-----	836.47	836.47	175.63	159.604	-----	----

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

<u>(रू लाख में)</u>

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय	बचत	अ ध क्य
2016-17	प्रोजेक्ट एलीमेन्ट	-	965000	965000		-
2016-17	इंटीग्रेटेड डैवलैपमैन्ट ऑफ वाइल्ड़ लाईफ हैबिटेट	-	2504000	2504000		-
2016-17	इन्टैन्सी फकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमैन्ट	-	868000	868000		

(iii) इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः मुख्य स चव - प्रमुख वन संरक्षक - मुख्य वन संरक्षक - वन संरक्षक - प्रभागीय वना धकारी - वन क्षेत्रा धकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में प्रभागीय वना धकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अं कत कया जाय) को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभागीय वना धकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अं कत कया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:- (**राजस्व एंव व्यय हेतु अलग-अलग बताये**)**

माह 03/2017 को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

माह 03/2017 को वस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित कया गया।

योजना का चयन: (यदि हो तो) -------शून्य-------------

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व से संबन्धित

भाग-2 (ब)

प्रस्तर- 01 वभाग द्वारा ब्याज की वसूली न कए जाने के कारण राजस्व क्षति ₹8.04 करोड़।

A late fee calculated at 02 paise per hundred rupee per day (i.e. 7.3% per annum) would be payable if the payment is made after the grace period of 30 days but before the expiry of 60 day. The late fee payable will be calculated for the entire period of delay including the grace period and if the payment is made after the expiry of 60 days, late fee at 5 paise per hundred per day (i.e. 18.25% per annum) would be charged from the date of instalment fee due according to (iii) of article 152, page no. 196 ii of the Uttar Pradesh forest manual (8th edition).

पट्टे ग्रहीता द्वारा वभाग को संबन्धित अव ध में वभाग द्वारा तय वा र्षक कराए को नियत दिन एवं रीति से भुगतान कया जायेगा। यदि समय पर उक्त धनरा श जमा करने में चूक होती है तो उसका भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज सहित एक माह के अंदर प्रत्येक दशा में जमा करेगा। ऐसा न करने पर अवशेषों की वसूली भू राजस्व के रूप में की जाएगी।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी के अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क वभाग द्वारा वगत वर्षों में 09 लीज की गयी थी जिसमें से 01 लीज निःशुल्क है तथा 02 लीज ग्रहीताओं द्वारा लीज कराया वलम्ब से जमा कया जा रहा है तथा 06 लीज ग्रहीताओं द्वारा प्रारम्भ/मध्याव ध से कराया नहीं दिया गया है। इस प्रकार वभाग की कराए की बकाया धनरा श ₹2,31,11,891 तथा बकाये ब्याज की धनरा श ₹5,73,15,752 कुल धनरा श ₹8,04,27,643 लीज ग्रहीताओं पर अवशेष है (सूची संलग्न)।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क संबन्धित प्रकरणों पर प्रयोक्ता एजेंसी को नोटिस जारी कर ब्याज वसूली की कार्यवाही की जाएगी। कृत कार्यवाही से आगामी संप्रेक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

लीज ग्रहीताओं पर बकाया कराए की सूची

क्रम संख्या	लीज ग्रहीता का नाम	लीज की दिनांक	लीज रेंट वार्षिक	बकाया की अवधि	बकाया की राशि	ब्याज की राशि	कुल राशि
1	440 के वी धौलीगंगा परियोजना	21.05.2004 (25.443 हेक्टेयर)	1079320	21.05.2004 से 20.05.2017 तक	-	2581910	2581910
2	धौलीगंगा परियोजना के कंट्रोल रूम व प्रशिक्षण हेतु	13.04.2000 (.95 हेक्टेयर)	23476	12.06.2001 से 11.06.2017	-	140502	140502
3	टनकपुर जल विद्युत परियोजना	29.09.86 (90.24 हेक्टेयर) 20.08.88 (140.07 हेक्टेयर)	909724.50	25 वर्ष (अप्रैल 1991 से सतंबर 2016)	22743112	53958125	76701237
4	रानी बाग-दानीबंगर ट्रांसमिशन लाइन	31.10.91 (0.56 हेक्टेयर)	2221	19 वर्ष (31.10.1992 से 30.10.2011)	42199	77813	120012
5	कुंवरपुर पेयजल योजना	07.02.94 (0.50 हेक्टेयर)	3243	22 वर्ष 01 माह 22 दिन (07.02.1995 से 31.03.2017)	71346	158764	230110
6	कादरी खान गुमाल गाँव पेयजल योजना	07.08.97 (0.057 हेक्टेयर)	759	18 वर्ष 07 माह 25 दिन (07.08.1998 से 31.03.2017)	14421	24772	39193
7	जनपद नैनीताल के स्वजल परियोजना	26.04.2001 (0.14575 हेक्टेयर)	4687	14वर्ष 11 माह 05 दिन (26.04.2002 से 31.03.2017)	70305	99937	170242
8	जनपद नैनीताल में ओखालकांडा की गुंठ खोला ओख्लागढ़ी पेयजल योजना	06.01.2003 (0.4372 हेक्टेयर)	13116	13 वर्ष 02 माह 26 दिन (06.01.2004 से 31.03.2017)	170508	224686	395194
योग					23111891	57266509	80378400

भाग-2 ब

प्रस्तर- 02 उपनिबंधक कार्यालय में लीजों को पंजीकृत न कराये जाने के परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क ₹20.19 लाख एवं निबंधन शुल्क के रूप में राजस्व क्षति।

भारतीय स्टाम्प अ धनियम 1899 की अनुसूची 2 ख के अनुच्छेद 35 के अनुसार 20 वर्ष से अ धक व 30 वर्ष तक के लए लीज पर दी गयी संप त्त के वा षक कराए का 6 गुना तथा प्री मयम यदि कोई हो, की धनरा श को जोड़कर मूल्यांकन पर स्टाम्प की देयता बनती है। जो क दिनांक 2 सतम्बर 2009 से 2% की दर से स्टाम्प लागू है।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी के अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क वभाग द्वारा वगत वर्षों में 09 लीज की गयी थी जिसमें से 01 लीज निःशुल्क है तथा 01 लीज पर प्री मयम निर्धारित नहीं कया गया है। शेष 07 लीजों पर प्री मयम व वा षक कराया निर्धारित कया गया है, कार्यालय द्वारा निम्न ल खत समस्त लीज को उपनिबंधक कार्यालय में पंजीकृत नहीं कराया गया था। जिसके फलस्वरूप ₹2019830/- का स्टाम्प अदा नहीं कया गया (सूची संलग्न) और नियमानुसार निबंधन शुल्क भी जमा नहीं कया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क प्रभाग के अंतर्गत स्वीकृत लीजों को पंजीकृत नहीं कराया गया है तथा इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त नहीं है।

 वभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क भारतीय स्टाम्प अ धनियम 1899 के अनुसार प्रत्येक लीज़ ग्रहिता का कर्तव्य होगा क पट्टा वलेख पर उ चत स्टाम्प अदा करके उपनिबंधक कार्यालय में पंजीकृत कराये।

अतः प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

क्रम सं.	लीज ग्रहीता का नाम	लीज की दिनांक	प्री मयम की धनरा श	लीज रेंट वा र्षक	स्टाम्प की देयता हेतु मूल्यांकन	स्टाम्प की देयता प्रतिशत में	स्टाम्प की देयता
1	टनकपुर जल वद्युत परियोजना	29.09.86 (30 वर्ष) 20.08.88 (30 वर्ष)	-	909724.50	5458347	10	545840
2	रानी बाग- दानीबंगर ट्रांस मशन लाइन	31.10.91 (20 वर्ष)	22120	2221	331804	10	36500
3	कुंवरपुर पेयजल योजना	07.02.94 (30 वर्ष)	32432	3243	51890	10	5190
4	कादरी खान गुयाल गाँव पेयजल योजना	07.08.97 (20 वर्ष)	7590	759	11385	10	1140
5	वद्युत नियंत्रण एवं जल वद्युत प्र शक्षण केंद्र	13.04.2000 (30 वर्ष)	234755	23476	375611	8	30050
6	जनपद नैनीताल के स्वजल परियोजना	26.04.2001 (30 वर्ष)	234755	4687	74997	8	6000
7	जनपद नैनीताल में ओखालकांडा की गुंठ खोला ओख्लागढ़ी पेयजल योजना	06.01.2003 (20 वर्ष)	46875	13116	169740	8	13580
8	440 के वी धौली गंगा परियोजना	21.05.2004 (30 वर्ष)	107932 00	1079320	17269120	8	1381530
9	जनपद नैनीताल के अंतर्गत हल्द्वानी राजपुरा में नलकूप एवं उच्च जलाशय हेतु उत्तराखंड पेयजल निगम	21.09.2009 (30 वर्ष)	निःशुल्क	निःशुल्क	-	-	-
योग							2019830

भाग-2 ब

प्रस्तर-03 प्रभाग की कार्य योजना समय से पूर्ण न हो पाने के कारण ₹3.72 करोड़ की राजस्व प्राप्ति न होना।

कार्यलय प्रभागीय वना धकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी की कार्य योजना के सम्बंध में लेखापरीक्षा दल द्वारा मांगी गयी सूचना/अ भलेखों की जांच के आधार पर पाया गया क कार्य योजना बनाने के लए वर्ष 2013-14 में बजट आवंटित हुआ था जब क कार्य योजना को बनाने का कार्य दिनांक 21.08.2014 से प्रारम्भ कया गया।। प्रभाग की नयी कार्य योजना वर्ष 2016-17 से वर्ष 2025-26 तक के लए बनायी जानी थी जब क प्रभाग की वगत कार्ययोजना वर्ष 2006-07 से वर्ष 2015-16 तक की अव ध के लए थी। प्रभाग की नयी कार्य योजना का कार्य वर्ष 2015-16 के अन्त तक पूर्ण कर लया जाना चाहिए था। ता क प्रभाग का कार्य सुचारु रूप से योजनाबद्ध तरीके से कया जा सके। कन्तु प्रभाग द्वारा लेखापरीक्षा ति थ तक कार्य योजना का कार्य पूर्ण नहीं कया जा सका। कार्य योजना पूर्ण न हो पाने के कारण वर्ष 2016-17 में छपान व पातन आदि के कार्य नहीं कए जा सके। जिसके परिणाम स्वरूप निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष ₹3,71,52,788 का राजस्व कम प्राप्त हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क प्रभाग के अंतर्गत प्रभागीय प्रबन्ध योजना में कए गए प्रावधानों के अनुपालन में प्रस्ता वत क्षेत्रों में पातन हेतु छपान करने के उपरान्त लाटों में पातन कया जाता है। वर्ष 2016-17 में प्रबन्ध योजना (कार्य योजना) पूर्ण न हो पाने के कारण वन क्षेत्रों में पातन हेतु छपान नहीं कया जा सका जिस कारण राजस्व प्राप्ति में कमी आयी।

अतः प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>व्यय से संबन्धित</u>

<u>भाग-2 ब</u>

प्रस्तर- 04 सक्षम अ धकारी की स्वीकृति प्राप्त कये बिना ₹52.36 लाख के कार्य पूर्ण कराया जाना।

उत्तराखण्ड अ धप्राप्ति नियमावली, 2008 कसी भी कार्य को तब तक प्रारम्भ नहीं कया जाना चाहिए जब तक क सक्षम प्रा धकारी से प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाए।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी के अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क प्रभाग द्वारा वर्ष 2016-17 में ₹52,36,416 मूल्य की लागत के कार्य (सूची संलग्न) बिना सक्षम अ धकारी की स्वीकृति प्राप्त कए पूर्ण करा दिये गए तथा संप्रेक्षा ति थ तक प्रभाग को उपरोक्त कार्यों हेतु सक्षम अ धकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क सक्षम अ धकारी की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पत्र प्रे षत कया गया था। स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य पूर्ण करा लए गए। स्वीकृति प्राप्त होने पर संप्रेक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

प्रभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त कए बिना ₹52,36,416 मूल्य की लागत के कार्य पूर्ण कये जाने का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

क्रम संख्या	कार्य का नाम	कार्य की लागत (धनरा शम ₹ में)
1	प्रभाग के अंतर्गत व भन्न कार्यों के सम्पादन हेतु RD706 remote injection gun and full equipment आदि क्रय करने की कार्योत्तर वत्तीय स्वीकृति।	2,99,000
2	प्रभाग के अंतर्गत प्रभागीय कार्यालय में व भन्न राजकीय कार्यों के प्रयोगार्थ साइलेंट डी जी जेनरेटर सेट 15 के वी ए क्रय करने हेतु वत्तीय स्वीकृत।	2,95,000
3	ओरिजिनल एप्लिकेशन न. 367 of 2016 बहादुर संह कार्की बनाम यूनियन ऑफ इं डया एण्ड ORS में राहुल वर्मा, एडवोकेट सूप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया द्वारा प्रतिशपथ पत्र तैयार करने पर उनके बिल भुगतान हेतु वत्तीय स्वीकृति वर्ष 2016-17	19,800
4	स्पेशल लीव पेटिशन civil no. 18675 ऑफ 2016 स्टेट ऑफ उत्तराखंड बनाम दिनेश रंधावामें जितेंद्र कुमार भाटिया, एडवोकेट सूप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया द्वारा वशेष अनुज्ञा या चका दायर करने पर उनके बिल भुगतान हेतु।	20,000
5	छकाता राजि के अंतर्गत सुल्तान नागरी ब्लॉक में दुर्लभ प्रजाति संरक्षण केंद्र में एम एस पाइप व जी आई कोटेड फाइबर सीट से श्र मक हट निर्माण की वत्तीय स्वीकृति।	1,50,000
6	छकाता राजि के अंतर्गत कालूखेड़ा कक्ष संख्या 06 क्षेत्रफल 32 हेक्टेयर में अ ग्रम मृदा कार्य हेतु वत्तीय स्वीकृति।	10,03,904
7	नन्धौर राजि के अंतर्गत सेला प्रथम कक्ष संख्या 2 स क्षेत्रफल 35.0 हेक्टेयर में अ ग्रम मृदा कार्य हेतु वत्तीय स्वीकृति	10,98,020
8	नन्धौर राजि के अंतर्गत सेला प्रथम कक्ष संख्या 4 अ क्षेत्रफल 40.10 हेक्टेयर में अ ग्रम मृदा कार्य हेतु वत्तीय स्वीकृति।	12,62,604
9	शारदा राजि के अंतर्गत उत्तरी गु लया पानी बीट कक्ष संख्या 4 ब क्षेत्रफल 29.0 हेक्टेयर में अ ग्रम मृदा कार्य की वत्तीय स्वीकृति।	9,38,088
10	शारदा राजि के अंतर्गत शारदा टापू संख्या 14 में एम एस पाइप व जी आई कोटेड फ़ाइबर सीट से सुरक्षा चौकी का निर्माण की वत्तीय स्वीकृति।	1,50,000
	योग	**52,36,416**

भाग-2 ब

प्रस्तर-05 वभाग द्वारा 90.80 हेक्टेयर वन भू म को अपने कब्जे में न लया जाना।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी के अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क टनकपुर जल वद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 230.31 हेक्टेयर वन भू म 30 अगस्त 1986 को 30 वर्षों के लए लीज पर दी गयी थी जिसमें से 90.24 हेक्टेयर भू म की लीज अव ध 28.09.2016 को समाप्त हो गयी। वभाग द्वारा न तो लीज का नवीनीकरण कया गया और न ही भू म को अपने कब्जे में लया गया। यह भी उल्लेखनीय है क लीज ग्रहीता द्वारा लीज का कराया भी नहीं दिया गया है।

इसी प्रकार रानी बाग- दानीबंगर ट्रांस मसन लाइन को दी गयी 0.56 हेक्टेयर भू म की लीज अव ध (20 वर्ष) 30.10.2011 को समाप्त हो गयी है।

वभाग द्वारा इस लीज का न ही नवीनीकरण कया गया है और न ही कराया प्राप्त कया जा रहा है।

इस प्रकार वन वभाग की 90.08 हेक्टेयर भू म अतिक्र मत है।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क टनकपुर जल वद्युत परियोजना के निर्माण हेतु लीज नवीनीकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक:3720/12-1 दिनांक-13.01.2016 के द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को लखा गया जिसके क्रम में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया है क भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 8-34/96/एफ सी,दिनांक 19/24-11-1988 के द्वारा परियोजना की लीज निरस्त की गयी है जिसके क्रम में प्रयोक्ता एजेंसी ने अपने पत्र संख्या NH/TP/PC/2099, दिनांक-24.06.2000 के द्वारा नोडल कार्यालय वन संरक्षण, वन उपयोग वृत्त, उ प्र, लखनऊ के पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है। लीज नवीनीकरण के संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 338/12-1, दिनांक 03.08.2017 के द्वारा नोडल अ धकारी, देहारादून से उ चत दिशा निर्देश मांगे गए है। रानीबाग-दानी बंगर ट्रांस मसन लाइन लीज नवीनीकरण हेतु अ ग्रम कार्यवाही से आगामी संप्रेक्षा को अवगत करा दिया जाएगा एवं भू म को अपने कब्जे में लेने के लए वभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क लीज निरस्त होने का कोई साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया है और लीज नवीनीकरण के संबंध में नोडल अ धकारी से उ चत दिशानिर्देश मांगे गए है।

अतः 90.80 हेक्टेयर भू म अतिक्र मत होने का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 ब

प्रस्तर-06 अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा बकाया जमानत की धनराशि जमा न किया जाना ₹0.74 लाख।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी के जमानत जमा से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बकाया जमानत धनराशि जमा नहीं की गयी है।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	निर्धारित धनराशि	जमा धनराशि	अवशेष धनराशि
1	श्री श्याम लाल	वन दरोगा	10000	4000	6000
2	श्री ललित चन्द्र जोशी	वन दरोगा	10000	5000	5000
3	श्री खीम सिंह संभल	उप वन क्षेत्राधिकारी	20000	10000	10000
4	निर्मल चन्द्र खुल्वे	वन आरक्षी	5000	-	5000
5	श्री तारा दत्त	वन दरोगा	10000	5000	5000
6	श्री त्रिलोक सिंह बिष्ट	वन दरोगा	10000	5000	5000
7	श्री बसंत सिंह	माली	500	-	500
8	श्री खयाली राम	प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी	20000	10000	10000
9	श्री गंगा रावत	प्रधान सहायक	2000	1500	500
10	श्रीमती लता आर्या	वन दरोगा	10000	5000	5000
11	श्री पुष्कर सिंह दिगारी	वन दरोगा	10000	5000	5000
12	श्री रमेश सिंह नेगी	वरिष्ठ सहायक	1500	1000	500
13	श्री किशन सिंह अधिकारी	प्रशासनिक अधिकारी	3000	-	3000
14	राजवती	स्वच्छक	500	-	500
15	विद्या राम	माली	500	-	500
16	श्री विकास पाल	माली	500	-	500
17	श्री ललित मोहन पाण्डेय	अर्दली	500	-	500
18	श्री त्रिलोक चन्द्र जोशी	वन आरक्षी	5000	-	5000
19	श्री अमर सिंह	वन दरोगा	10000	4000	6000
योग					**73500**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की गयी कम जमानत की धनराशि जमा कराकर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

अतः प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(इस भाग में वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण निम्न प्रारूप में अं कत कया जाय)

<u>राजस्व से संबं धत</u> वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
13/2009-10	01	01,02,03
124/2012-13	-	01
11/2016-17	-	01,02

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
13/2009-10	भाग2(क) प्रस्तर-1 भाग2(ख) प्रस्तर1, प्रस्तर-2, प्रस्तर-3	प्रस्तुत प्रस्तुत प्रस्तुत प्रस्तुत	यथावत रहेगा यथावत निक्षेप कया जा सकता है। यथावत	
124/2012-13	भाग2(ख)प्रस्तर1	प्रस्तुत	यथावत	
11/2016-17	भाग2(ख)प्रस्तर1, प्रस्तर-2,	प्रस्तुत प्रस्तुत	निक्षेप कया जा सकता है। यथावत	

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -शून्य

(2) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -शून्य

<u>भाग-**V**</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्रभागीय वना धकारी हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः (राजस्व एवं व्यय से संबं धत अलग अलग दर्शाएँ)
3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	डा.सी.एस. सनवाल	प्रभागीय वना धकारी
(ii)		

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्रभागीय वना धकारी हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अ धकारी